भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 203*

(09 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

आंध्र प्रदेश के पिछड़े जिलों के लिए विकास अनुदान

***203. कुमारी गोड्डेति माधवी:**

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के सात पिछड़े जिलों के लिए वर्ष 2014 से जारी की गई विकास अनुदान धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अंतर्गत मान्य आंध्र प्रदेश के पिछड़े जिलों के लिए विकास सहायता हेतु केंद्र सरकार की ओर से देय कोई धनराशि लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस देय धनराशि को प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा जारी अनुदेश क्या हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 09.03.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. 203 के उत्तर के भाग (क) से (ग) के उल्लिखित विवरण

(क): आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (एपीआरए), 2014 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार पुनर्गठित आंध्र प्रदेश राज्य के पास उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उचित अनुदान दे सकती है तथा यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि राज्य के पिछड़े क्षेत्रों को विशेष विकास पैकेजों के रूप में पर्याप्त लाभ और प्रोत्साहन दिया जाता है। उक्त अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार पुनर्गठित आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष विकास पैकेज पर विचार करते समय विशेष रूप से रायलसीमा और उत्तरी तटीय क्षेत्रों के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देगी। तदनुसार, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा उत्तरी समुद्र तटीय क्षेत्र के सात जिलों अर्थात अनंतपुर, चित्तूर, कडप्पा, कुरनूल, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम और विजयनगरम की पहचान विशेष विकास पैकेज के लिए की गई है और प्रति वर्ष प्रति जिला @50 करोड़ रुपए की दर से विकास अनुदान जारी किया जाता है।

केंद्रीय सरकार ने इस संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य को अब तक 1400 करोड़ रुपए जारी किए हैं। दिनांक 18.02.2015 को 350 करोड़ रुपये की पहली किस्त, 23.11.2015 को 350 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त, 30.01.2017 को 350 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त और 31.03.2020 को 350 करोड़ रुपये की चौथी किस्त जारी की गई है।

(ख) और (ग): आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अंतर्गत राज्य के 7 पिछड़े जिलों के विकास के लिए निधियां नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर जारी की जाती हैं। नीति आयोग ने अपनी दिनांक 01 दिसंबर, 2015 की रिपोर्ट अर्थात "एपीआरए, 2014 के अंतर्गत उत्तराधिकारी आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विकासात्मक सहयोग पर रिपोर्ट" में अन्य बातों के साथ-साथ ".... प्रति जिला @300 करोड़ रुपए की दर से आंध्र प्रदेश के सात पिछड़े जिलों के लिए कुल 2100 करोड़ रुपए की सिफारिश की है। इस अनुदान में वित्तीय वर्ष 2014-15 और वित्तीय वर्ष 2015-16 में जारी किए गए 700 करोड़ रुपए शामिल थे।" केंद्रीय सरकार ने 2014 से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अंतर्गत राज्य के सात पिछड़े जिलों के विकास के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को अब तक 1400 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तथापि, राज्य सरकार द्वारा केवल 1049.34 करोड़ रुपए के उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं।

*****